बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका सं०–15/औ०–16–01/2017 367(15)/स्वा०,   पटना/दिनांक 03/4/2019

e-Cigarettes एवं अन्य प्रकार के निकोटिन (Nicotine) युक्त उत्पाद जो कि Drugs Controller General (India) के द्वारा अनुमोदित नहीं है वैसे उत्पाद Electronics Nicotine Delivery System (ENDS) के माध्यम से दुरूपयोग की जा रही है।

2. बिहार में राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (STCCC) के निर्णयानुसार e-Cigarettes को प्रतिबंधित किया जाना है।

3. अतः उक्त के आलोक में ऐसे e-Cigarettes का क्रय–बिक्रय (Including online Sale), निर्माण, वितरण, विक्रय हेतु प्रदर्शन, विज्ञापन इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण हेतु राज्य में e-Cigarettes के रूप में उपलब्ध Nicotine उत्पादों के विरूद्ध औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधित की जाती है। उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –15/औ०–16–01/2017 367(15)/स्वा०,   पटना/दिनांक 03/4/2019

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/04/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।